प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

संदर्भ सामग्री

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से कृषि के बाद खनन क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत के ज्यादातर खनिज वन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां जनजातीय पिछड़ी और उपेक्षित आबादी रहती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि हमने इस क्षेत्र को अपेक्षित महत्व दिया होता, तो देश की बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो चुकी होती और समावेशी विकास का लक्ष्य अनुकरणीय मानदंड के साथ हासिल कर लिया गया होता।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के परिकल्पनाशील और गतिशील नेतृत्व के अंतर्गत वर्तमान सरकार ने 2015 के प्रारंभ में खनन एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) में संशोधन किया। अन्य महत्वपूर्ण सुधारों के साथ नए अधिनियम में खनन क्षेत्र से संबंधित दो बुनियादी मुद्दों का समाधान किया गया हैः-

(क) पारदर्शिता कायम करते हुए और खोज पर अधिक बल देते हुए खनन उद्योग में नई जान फूंकना।

(ख) खनन के जरिए हासिल की गई समृद्धि के लाभों का वितरण प्रभावित लोगों के बीच करना, ताकि खनन के वातावरण को अधिक स्थिर बनाया जा सके।

उपरोक्त में परवर्ती लक्ष्य के लिए, भारत के इतिहास में पहली बार खनन प्रभावित व्यक्तियों और स्थानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विशेष रूप से एक पृथक कोष की स्थापना की गई है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम-2015 जिला खनिज फाउंडेशन, अथवा डीएमएफ की स्थापना का प्रावधान करता है और यह अधिदेशित करता है कि सभी राज्य सरकारों को खनन प्रचालनों से प्रभावित प्रत्येक जिले में एक डीएमएफ की स्थापना करनी होगी। सहकारी संघवाद की विशेषताओं की रक्षा करने के लिए अधिनियम राज्य सरकारों को डीएमएफ से संबंधित नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।

स्वतंत्रता दिवस 2015 के अवसर पर लालकिले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करत हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि सरकार खनन से प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी।

कार्यक्रम

सितम्बर, 2015 में खनन मंत्रालय ने डीएमएफ में प्रोद्भूत निधियों के इस्तेमाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। इन्हें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का नाम दिया गया। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है।

विकास के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक और आर्थिक, तात्कालिक और दीर्घावधि, को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तीन मुख्य लक्ष्यों पर आधारित हैः-

(1) खनन प्रभावित क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही वर्तमन परियोजनाओं/कार्यक्रमों के पूरक के रूप में विविध विकासात्मक और कल्याण परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना।

(2) खनन के दौरान और उसके बाद, खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास पर विपरीत असर कम करना/दुष्प्रभाव समाप्त करना; और

(3) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधि की स्थाई आजीविका सुनिश्चित करना।

लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं ताकि जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के अंतिम लक्ष्य की प्रमुखता बनी रहे।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

कार्यक्रम से संबंधित कुछ संगत तथ्य नीचे दिए गए हैं, जो प्रशासकों, विधि निर्माताओं और सम्बद्ध नागरिकों के लिए सहज उपयोगी हो सकते हैः

यह कार्यक्रम जनवरी 12, 2015 से लागू है।

12 जनवरी, 2015 से पहले निष्पादित किए गए खनन पट्टों के लिए देय रॉयल्टी का 30 प्रतिशत हिस्सा डीएमएफ के लिए दिया जाएगा।

12 जनवरी, 2015 के बाद नीलामी के जरिए दिए गए खनन पट्टों के संदर्भ में अदा की गई रॉयल्टी राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा डीएमएफ के लिए दिया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष कुल 6000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद की जा रही है।

कार्यक्रम से संबंधित प्रणाली

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमकेकेकेवाई खनन प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए स्थाई आधार पर कार्य कर सके, सरकार ने व्यवस्था की है कि डीएमएफ के अंतर्गत धन का इस्तेमाल अनुकूलतम तरीके से किया जाए। इसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि पीएमकेकेकेवाई सहायता की एक आत्म निर्भर प्रणाली के रूप में काम करे और सरकार के एकबारगी उपाय के रूप में नहीं। इस कार्यक्रम को लोकप्रिय उपायों के फंदे से बचाना है। इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए समुचित व्यवस्था कायम की गई है कि तात्कालिक कार्यों के वशीभूत होकर महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी तो नहीं की जा रही।

कार्यक्रम के अंतर्गत निधि का 60 प्रतिशत व्यय उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए और 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत शामिल क्षेत्र इस प्रकार हैः-

उच्च प्राथमिकता क्षेत्र	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र
पेय जल आपूर्ति	भौतिक ढांचा
पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण	सिंचाई

उपाय	
स्वास्थ्य देखभाल	ऊर्जा और जलसंभर विकास
शिक्षा	खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य उपाय
महिलाओं और बच्चों का कल्याण	
बुजुर्गों और विस्थापित व्यक्तियों का कल्याण	
कौशल विकास	
स्वच्छता	

कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित लाभार्थी

सभी अस्पष्टाओं को दूर करते हुए पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत निम्नांकित को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हैः-

(1) **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रः** जिनमें अन्य बातों के अलावा जिला खनन संबंधी प्रचालन जैसे खुदाई, खनन, ब्लास्टिंग, धातु शोधन, अपशिष्ट निपटान आदि को अंजाम दिया जाता है।

2. **परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रः** ऐसी स्थिति जिसमें खनन संबंधी प्रचालनों के कारण स्थानीय आबादी को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण विषयक दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इनसे पानी, भूमि और वायु की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ता है और नदियों के प्रवाह तथा भूमिगत जल आदि में कमी आती है।

3. **प्रभावित लोग/समुदाय** : भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्थार्पन, अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'प्रभावित परिवार' और 'विस्थापित परिवार' के रूप में पहचान किए गए परिवार और ग्राम सभा के साथ सलाह-मशविरा करके पहचाने गए परिवार।

इन परिभाषाओं के अनुरूप, यह अधिनियम डीएमएफ को अधिदेश देता है कि वह इन श्रेणियों के अंतर्गत व्यक्तियों और स्थानों की सूची तैयार करे, जिन्हें पीएमकेकेकेवाई कार्यक्रम का सही लाभार्थी समझा जा सके।

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान : पीएमकेकेकेवाई निधि के उपयोग की प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 244 के साथ पठित अनुसूची 5 एवं 6 में दिए गए प्रावधानों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 तथा अनुसूचित जन जातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी। योजनाओं के अनुमोदन और रिपोर्टों की जांच में प्रभावित गांवों की ग्राम सभा की अहम भूमिका होगी।

कार्यक्रम की अन्य विशेषताएं :

- पीएमकेकेकेवाई के धन को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान कल्याण कार्यक्रमों के साथ परस्परानुबंधन किया जाना चाहिए।
- फाउंडेशन की प्राप्तियों का अधिकतम 5 प्रतिशत धन उसके प्रशासनिक, निगरानी विषयक व्यय और ऊपरी लागत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकतम सीमा तय की जा सकती है।
- पीएमकेकेकेवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्टाफ/कार्मिक शक्ति अनुबंध के आधार पर जुटाई जा सकती है; स्थायी आधार पर कर्मचारी रखने की कोई संभावना नहीं है।
- दो जिलों के अंतर्गत आने वाले खनन प्रभावित क्षेत्रों, अथवा प्रचालन जिले से बाहर के लोगों/स्थानों को शामिल करने वाली कल्याण योजना के बारे में दिशा-निर्देशों में स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं।
- सभी कार्य/ठेके राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दिए जाने चाहिए।
- एजेंसियों/लाभार्थियों को धन का हस्तांतरण सीधे बैंक खातों में किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक डीएमएफ को एक वेबसाइट संचालित करनी होगी, और स्वयं, लाभार्थियों, एकत्र किए गए धन, बैठकों के कार्यवृत्त, की गई कार्रवाई संबधी रिपोर्टों, वार्षिक योजनाओं, जारी परियोजनाओं की स्थिति आदि सभी आंकड़े और ब्यौरे सार्वजनिक करने चाहिए।
- डीएमएफ के खातों की लेखापरीक्षा हर वर्ष की जायेगी और उसे उसकी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।
- प्रत्येक डीएमएफ को वित्त वर्ष की समाप्ति पर तीन महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसे राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2014-15 में रॉयल्टी की जिलावार वसूली

दस खनिज समृद्ध राज्यों के संदर्भ में 2014-15 के लिए जिलावार खनन रॉयल्टी की वसूली का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इससे योजनाकार और जन-साधारण डीएमएफ वसूली की स्थिति के बारे में सही अनुमान लगा सकते हैं। यह एक शुरुआत भर है और संशोधित कानून के अंतर्गत नए खनन क्षेत्रों की नीलामी अभी की जानी है।

(यहां पर तालिका पेस्ट करें)

लंबा सफर तय किया जा चुका है और अभी मीलों जाना है

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में किए गए वायदे के अनुसार पीएमकेकेकेवाई कार्यक्रम खनन संबंधी क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित धन जुटाने के लिए

तैयार किया गया है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्य प्रावधान खनन क्षेत्र के वैज्ञानिक, जिम्मेदारीपूर्ण, स्थायी और पारदर्शी विकास में मददगार और सक्षम वातावरण की व्यवस्था करते हैं।

हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के प्रयास कर सकते हैं, जो अपनी शक्ति पर आधारित हो और उसके दिल में लोगों का कल्याण निहित हो।

(यह जानकारी इस्पात मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई है)।